न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 59/2007 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. धर्मसिंह पुत्र जुगल जाति जाट निवासी गांव कासोट तहसील डीग जिला भरतपुर (मृतक)

1/1 किशनसिंह
1/2 मुंशी
1/3 नारायनसिंह

पिसरान धर्मसिंह जाति जाट निवासी कासोट तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. शिवराम
2. सूरजभान
3. लक्ष्मन

पिसरान उदयसिंह जाति जाट निवासी कासोट तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 9.7.2007 प्रकरण संख्या 43/06 धर्मसिह बनाम शिवराम प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितिः–

श्री नीरपालसिंह वकील अपीलान्ट

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांकः– 20.6.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय दिनांक 9.4.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट धर्मसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि विवादित सविक ख0नं0 5407 रकबा 1.06 बीघा प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा था जिस पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। तथा अप्रार्थीयान का सविक ख0नं0 5405/0.6 विस्बा व 5406/7 विस्बा था। दौराने बन्दोवस्त सविक खसरा नम्बर 5407/1.06 बीघा से हाल ख0नं0 1588/0.24 हैक्टेयर बनाया गया व गैर सायलान के सविक खसरा नम्बर 5405/0.06 बीघा व 5406/0.7 वीघा से हाल खसरा नम्बर 1589 रकबा 14 ऐयर का बनाया गया है व इसी प्रकार काबिज है। भू प्रबन्ध विभाग ने नया नक्शा बनाते समय बिना किसी अधिकार के मुताबिक रिकार्ड व सविक नक्शा के हाल नक्शा में खसरा नम्बर 1588 के स्थान पर 1589 व 1589 के स्थान पर 1588 गलत लिख दिया है इस गलत इन्द्राज के कारण पक्षकार के मध्य बिला वजह विवाद पैदा हो गया है।

इसलिऐ हाल नक्शा में खसरा नम्बर 1589 के स्थान पर खसरा नम्बर 1588 व 1588 के स्थान पर 1589 दुरूस्त किया जावे। जिस पर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी ने सभी हितधारी खातेदारान/बैंक को पक्षकारान नहीं बनाया गया है इसके अलावा अपने समर्थन में आवश्यक दस्तावेजात की पूर्ति भी नहीं की गई है इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि साविक आराजी खसरा नम्बर 5407 रकबा 1.06 वाकै ग्राम कासोट तहसील डीग में स्थित है जो अपीलान्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है तथा खसरा नम्बर 5406 रकबा 0.07 विस्बा रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी है तथा खसरा नम्बर 5405 के सरवती, हरीसिंह आदि के पति व पिता सुक्का खातेदार थे । खसरा नम्बर 5407/1.06 से हाल खसरा नम्बर 1589/0.24 ऐयर बन्दोवस्त विभाग द्वारा बनाया गया तथा 5405/0.06 एवं 5407/0.07 दोनों से मिलाकर हाल खसरा नम्बर 1588 रकबा 14 बनाया गय है तथा 1588 में रास्ता की तरफ वाला खसरा नम्बर सरवती आदि को व उसके पीछे वाला खसरा नम्बर शिवराम आदि रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज किया गया जिसकी बाबत कच्ची परची जारी हुई अपीलान्ट को 1589/24 जिसके सहारे दोनों तरफ रास्ता है को अपीलान्ट की खातेदारी के गत रिकार्ड के अनुसार दिया गया, लेकिन भू प्रबन्ध विभाग में खसरा पत्रक व खतोनी भू प्रबन्धक बनाते समय अमल करते वक्त खसरा नम्बर 1588/14 पर खातेदारी अपीलान्ट के नाम व 1589/24 पर खातेदारी रैस्पो0 के नाम अंकन कर दी, लेकिन शुरू से अपीलान्ट का रहा । भूप्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी बदलने का अधिकारी नहीं है जब तक कि किसी सक्षम अदालत का आदेश न हो। यह इन्द्राज गलत किये गये है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जैसे ही अपीलान्ट को इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र दुरूस्ती नक्शा न्यायालय तहत में पेश किया जिसमें साविक हाल जमाबन्दी खसरा नक्शा मिलान क्षेत्रफल पेश किये परन्तु अदालत तहत ने उन पर गौर नहीं कर प्रार्थना पत्र दुरूस्ती खारिज करने में कानूनी भूल की है। यह कि अपीलान्ट का साविक खसरा नम्बर 5407/1.06 के दोनों तरफ रास्ता है जिससे हाल खसरा नम्बर 1589/24 बना है लेकिन बन्दोवस्त विभाग ने खसरा नम्बर बनाते समय जो रफीक नक्शा में गिनती से डाली है वह 1587 के बाद 1588 आनी थी वहां 1589 लिख दिया है तथा 1588 नीचे जो रैस्पो0 के कब्जे व खातेदारी का गत खसरा नम्बर 2406 का था उससे 1589 बनना था के स्थान पर 1588 बनाकर अपीलान्ट का नाम नीचे छोटे नम्बर में डाल दिया जबकि उस 1588 से अपीलान्ट का कोई संबध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। तहत अदालत द्वारा इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। यह कि अपीलान्ट का नम्बर 1 बीघा 06 विस्बा का बडा नम्बर था रैस्पो0 का नम्बर मात्र 7 विस्बा का था नक्शा जो बन्दोबस्त द्वारा बनाया गया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 1588 बहुत छोटा मात्र 7 विस्बा के बराबर ही है तथा 1589 रकबा 1 बीघा 6 विस्बा अर्थात करीब डेढ बीघा के बराबर है जो अपीलान्ट का है। यह एक क्लेरीकल मिस्टेक है जिसकी दुरूस्ती के अधिकारी एसडीओ डीग को ही है फिर भी प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट खारिज कर दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। यह कि तहत अदालत का यह कहना कि खसरा नम्बर 1588 पर कब्जा सरवती, हरीसिंह आदि का है यह गलत तथ्य है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जबकि सरवती, हरीसिंह आदि का अलग नम्बर है तथा पूर्व में भी अलग था उनसे काई दाररसी नहीं चाही थी। ख0नं0 1588 रैस्पो0 के नाम है साविक भी रैस्पो0 के नाम था इनसे ही दादरसी चाहनी थी इन्हीं को पक्षकार मुकदमा बनाया था बाबजूद इसके प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। यह कि अदालत तहत ने पक्षकार न बनाये जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र गलत खारिज किया है क्यों कि आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 में पक्षकार बनाये जाने के लिये न्यायालय तहत को पूर्ण अधिकार है । न्यायालय किसी व्यक्ति का हित समझे तो स्वयं के आदेश से पक्षकार मुकदमा बना सकती है लेकिन दावा या प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हाल खसरा नम्बर 1588 मात्र 14 ऐयर का ही बनाया है अपीलाधीन आदेश में 24 ऐयर लिखा है जो गलत है। अपीलान्ट का गत रकबा 1 बीघा 6 विस्वा था जिसका हाल में 24 ऐयर के लगभग आना था 14 ऐयर कम रकबा है जो रस्पो0 का है तहत अदालत ने इस बात पर भी कोई गौर नहीं किया है। इसके अलावा बैंक को पक्षकार बनाया जाना भी आवश्यक नहीं था क्यों कि रैस्पो0 को जो खसरा नम्बर खातेदारी में अंकन दुरूस्ती में होगा बैंक के इन्द्राज उसी नम्बर पर रहेगें । जहां तक नकल जमाबन्दी का प्रश्न है वह रैस्पो0 ने पेश कर दी फिर भी गलत प्रकार प्रार्थना पत्र खारिज करने में तहत अदालत ने कानूनी भूल की है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नक्शा गत व हाल पर भी कोई गौर नहीं किया गया। यह कि प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट बन्दोवस्त विभाग द्वारा की गई क्लेरीकल मिस्टेक से इन्द्राज नक्शा दुरूस्ती का था जो कि 1589 के स्थान पर 1589 होना था रकबा वही बदस्तूर रहना था मात्र लाल स्याही से नम्बर का परिवर्तन मुताबिक साबिक व हाल खातेदारी के इन्द्राज व नक्शा के अनुसार थे उसको दुरूस्त न कर प्रार्थना पत्र गलत प्रकार से खारिज किया है। तहत अदालत/उपखण्डाधिकारी को लैण्ड रिकार्ड दुरूस्ती के वखूबी अधिकार प्राप्त है बाबजूद इसके तहत अदालत ने बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थी/अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट खारिज किया गया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरेअपील दिनांक 9.4.2007 न्यायालय उपखण्डाधिकारी डीग निरस्त फरमाया जाकर नक्शा में खसरा नम्बर 1588/24 के स्थान पर 1589/14 व 1589/14 के स्थान पर 1588/24 अंकन किया जावे रकबा बदस्तूर रखा जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तत अपील अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के आदेश दिनांक 9.4.2007 अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा यह प्रकरण इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि प्रार्थी की ओर से सभी हितधारी खातेदारान/बैंक को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है तथा अपने समर्थन में आवश्यक दस्तावेजात/रिकार्ड भी पेश नहीं किये गये है जबकि अपीलान्ट का यह कहना है कि प्रार्थी की ओर से सभी आवश्यक दस्तावेजात की पूर्ति कर दी गई है । न्यायिक मंशा की मध्यनजर तहत अदालत प्रार्थी को वांछित दस्तावेज की पूर्ति करने हेतु ताकीद कर सकती थी किन्तु तहत पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह जाहिर है कि तहत अदालत द्वारा वांछित दस्तावेज हेतु प्रार्थी को ताकीद नहीं की गई है जहां तक प्रश्न हितधारी पक्षकारों को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का है तो वकील प्रार्थी के इस तथ्य से हम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहमत है कि न्यायहित में यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार समझता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय स्वयं पक्षकार मुकदमा बना सकता है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह जाहिर है प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित न किया जाकर केवल दस्तावेजात की कमीपूर्ति अथवा अन्य पक्षकारान को पक्षकार मुकदमा न बनाये जाने के आधार पर खारिज किया गया है जबकि ये पूर्तियां परीक्षण न्यायालय के समक्ष संभव थी। न्यायहित में ज्यादा मुनासिब रहता कि वे तमाम पूर्तियां जो परीक्षण न्यायालय के समक्ष वांछित थी पूर्ति कराते हुये प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाता । इस संदर्भ में राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है । राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 में उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख अधिकारी भी है जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शो राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। यह प्रकरण बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर पारित किया जाना नहीं पाया जाता है लिहाजा यह अपील बाद पूर्ति/परीक्षण पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी डीग का अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.4.2007 निरस्त किया जाता है प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी वांछित आवश्यक दस्तावेजात की पूर्ति प्रार्थी से करावें तथा सभी हितधारी पक्षकरान की सुनवाई उपरान्त बाद परीक्षण नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें। अपीलान्ट को भी हिदायत दी जाती है कि वे तहत अदालत के समक्ष संबधित वांछित दस्तावेजों एवं नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें, क्यों कि अपने वाद को सिद्ध करने का पूर्ण रूपेण दायित्व वादी का ही रहता है।

निर्णय आज दिनांक 20.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर